नालसा
(वरिष्ठ नागरिकों
के लिए विधिक सेवा)
योजना, 2016

नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016

1. पृष्ठभूमि

1.1 वरिष्ठ नागरिक अपने आप में एक सामाजिक वर्ग हैं।[1] ये अनुभव और ज्ञान के कोष हैं, फिर भी अनेक मामलों में इनकी उपेक्षा की जाती है और समाज का युवा वर्ग इन्हें समाज पर बोझ समझकर लगभग त्याग देता है। वरिष्ठ नागरिक कोई सजातीय समूह नहीं है, इनके अंतर वरिष्ठ नागरिकों के बीच आयु के अंतराल, शारीरिक एवं मानसिक सतर्कता, कार्य करने की क्षमता और ऐसी ही बातों पर आधारित हैं।

1.2 वर्षों से, विज्ञान की प्रगति के साथ, जिजीविषा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति, 2011 में किए गए उल्लेख के अनुसार, ''जनांकिकीय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि 2000 से 2050 तक भारत की समग्र जनसंख्या में 55 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी जबकि 60 वर्ष और उससे अधिक की आयु के लोगों की संख्या में 326 प्रतिशत और 80 से अधिक के आयु वर्ग - जो सबसे तेज वृद्धि वाला वर्ग है - के लोगों की संख्या में 700 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।'' विश्व के बुजुर्गों की जनसंख्या का 8वां हिस्सा भारत में रहता है। वस्तुतः वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 1951 में लगभग 2 करोड़ थी जो बढ़कर 2001 में 7.2 करोड़ तथा 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। इस प्रकार जनसंख्या के लगभग 8 प्रतिशत लोग 60 वर्ष से अधिक के हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की सर्वाधिक प्रतिशतता केरल में है जहां बुजुर्गों की संख्या राज्य की जनसंख्या की 12.55 प्रतिशत है। 60 से अधिक आयु वर्ग में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है जो 2011 की जनगणना के अनुसार, 5,10,71,872 पुरुषों की तुलना में 5,27,77,168 है।

---

[1]टिप्पणी: इस योजना के प्रयोजनार्थ, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 'वरिष्ठ नागरिक' कहा गया है और 'वृद्ध व्यक्ति', 'बुजुर्ग' समान अर्थ में प्रयुक्त शब्द हैं।

1.3 वरिष्ठ नागरिकों के सामने ऐसी बेशुमार सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका केवल उन्हें ही सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं रोजगार न होने के कारण हो सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप आय एवं आर्थिक सुरक्षा की क्षति होती है।

शारीरिक समस्याओं में स्वास्थ्य एवं मानसिक समस्याएं शामिल हैं। पारिवारिक सहयोग न मिलने और सामाजिक असमायोजन से सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा एक अन्य बड़ा मुद्दा है। संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने और ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ दिए जाने से यह समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है। परिवार के कमाने वाले सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर जाते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

1.4 बुजुर्गों के प्रति सतत एवं लगातार उत्पीड़न, अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक, भावनात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचाने का भी प्रमाण मौजूद है। रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 50 प्रतिशत आधे बुजुर्ग निरादर और उपेक्षा के साथ-साथ उत्पीड़न का सामना करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2014 से अक्टूबर 2014 तक वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध के कुल 8,973 मामले दर्ज किए गए थे। इसीलिए प्रत्येक समाज और राज्य वरिष्ठ नागरिकों को शेष समाज से अलग कतिपय विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है।

1.5 बुजुर्गों के मुद्दे को 1948 से समय-समय पर संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाता रहा है। दी वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग 1982 में विएना में आयोजित हुई थी जिसमें बुजुर्गों हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना को अंगीकार किया गया था जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की विशेष चिंताओं एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सभी देशों में उनकी जनसंख्या में बुजुर्गों की समस्याओं पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की उनकी क्षमता में वृद्धि करना था। 1991 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वरिष्ठ नागरिकों की स्वतंत्रता, भागीदारी, भरण-पोषण, आत्म-संतुष्टि एवं सम्मान पर केंद्रित कतिपय सिद्धांतों को अंगीकार किया था। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में घोषित किया गया जो अब अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में जाना जाता है।

2. संवैधानिक प्रतिभूतियां

2.1 भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इसकी विवेचना में सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल होगा। संविधान के अनुच्छेद 41 में यह

विहित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, *बुढापा,* बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 46 भी राज्य को यह सकारात्मक दायित्व सौंपता है कि वह जनता के दुर्बल वर्गों के अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 41 और 46 राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं जो किसी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते , फिर भी वे राज्य को सकारात्मक दायित्व सौंपते हैं और देश के शासन के मूलाधार हैं।

2.2 संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 9 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20, 23 और 24 वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना-निर्माण से संबंधित हैं। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 में विशेष रूप से 'श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।' इस प्रकार वृद्धावस्था के संबंध में संविधान में अनेक प्रविष्टियां हैं।

3. विधायी संरचना

3.1 अधिकांश मौजूदा कानून माता-पिता के भरण-पोषण के लिए प्रावधान करते है और इसमें विशिष्ट रूप से वरिष्ठ नागरिकों का उल्लेख नहीं किया गया है। **हिंदू विधि** में, स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ माता-पिता का भरण-पोषण करना प्राचीन काल से ही पुत्रों का दायित्व माना गया है। **हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956** के तहत, यदि माता-पिता अपनी आय अथवा अन्य संपत्ति से स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हों तो वृद्ध अथवा अशक्त माता-पिता अपने पुत्र और पुत्री से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं। **मुस्लिम स्वीय विधि** सहज परिस्थितियों में बच्चों को अपने माता-पिता के भरण-पोषण का दायित्व सौंपता है, भले ही वे स्वयं अपने लिए कुछ कमाने में समर्थ हों। एक व्यक्ति अपने दादा-दादी और नाना-नानी का भी, यदि वे गरीब हों तो, उतना ही भरण-पोषण करेगा जितना वह अपने गरीब पिता का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है।

3.2 **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128** में ऐसे पिता अथवा माता को, जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने पुत्र/पुत्री से, यदि वे अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने में लापरवाही अथवा मनाही करते हैं तो, भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार दिया गया है। यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है और सभी धर्मों पर लागू होता है। यदि जिस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है वह बिना किसी पर्याप्त कारण के भरण-पोषण की राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है और न्यायालय आदेश के उल्लंघन के कारण दंड देते हुए वारंट भी जारी कर सकता है और व्यक्ति को कैद भी हो सकती है। इसी प्रकार, यदि माता को घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है तो **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005** के तहत वह अपने पुत्र के विरुद् याचिका दायर कर सकती है और इस अधिनियम के तहत विभिन्न राहतें प्राप्त कर सकती है।

3.3 वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार करते हुए और संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, (क) 'माता-पिता', अर्थात् पिता अथवा माता चाहे वे जैविक, दत्तक अथवा सौतेले पिता अथवा माता हों; और (ख) 'वरिष्ठ नागरिक', अर्थात् वह व्यक्ति जिसने 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली हो, के द्वारा भरण-पोषण हेतु आवेदन किया जा सकता है। (क) माता-पिता अथवा दादा-दादी द्वारा अपने एक अथवा अधिक बच्चों, अर्थात् पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री, जो वयस्क हों, के विरुद्ध; और (ख) नि:संतान वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने संबंधी, अर्थात् कानूनी उत्तराधिकारी, जो वयस्क हो और जिसका उसकी सम्पत्ति पर कब्जा है अथवा जिसको उसकी मृत्यु के बाद कब्जा प्राप्त होगा, के विरुद् भरण-पोषण हेतु आवेदन कर सकते है। यह अधिनियम भरण-पोषण के आदेश पर न्याय-निर्णय और निर्णय करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप-खंड के लिए एक अथवा अधिक न्याधिकरणों की स्थापना का और न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का उपबंध करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिनियम के तहत, माता-पिता/वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के हस्तांतरी के विरुद्ध भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तनीय है, यदि हस्तांतरी को अधिकार का नोटिस दिया गया है, अथवा यदि यह हस्तांतरण अहेतुक है और अधिकार का नोटिस नहीं दिया गया है, तो यह हस्तांतरी के विरुद्ध प्रतिफल हेतु प्रवर्तनीय नहीं है। जहां वरिष्ठ नागरिक ने संपत्ति को इस शर्त पर कि हस्तांतरी हस्तांतरणकर्ता की मूलभूत सुविधाओं एवं

मूलभूत भौतिक जरूरतों को पूरा करेगा, उपहार में अथवा अन्यथा हस्तांतरित किया है, परंतु वह हस्तांतरी उन सुविधाओं और शारीरिक जरूरतों को पूरा करने से मना कर देता है अथवा उसमें असफल रहता है, वहां न्यायाधिकरण, किसी वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को हस्तांतरणकर्ता की इच्छा पर अमान्य घोषित कर सकता है।

3.4 इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वरिष्ठ नागरिक जिस व्यक्ति की देखभाल और संरक्षण में है, उसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक को परित्यक्त कर देना एक दंडनीय अपराध है जिसमें अधिकतम 3 माह की कैद अथवा 5000/-रु. जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। यह वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति के संरक्षण के लिए तथा उन्हें अज्ञात स्थानों पर छोड़ दिए जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए एक महत्वूपर्ण प्रावधान है। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान भी हैं:

-असहाय वरिष्ठ नागरिकों, अर्थात् ऐसे वरिष्ठ नागरिकों जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना करना ।

-सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी अस्पताल अथवा पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित अस्पताल सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिस्तर प्रदान करें; वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से पंक्तियां लगवाएं और वरिष्ठ नागरिकों को क्रोनिक, आवधिक और अपक्षयी रोगों के उपचार की सुविधा प्रदान करें।

4. वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाएं

4.1 केंद्र सरकार के तहत अलग-अलग मंत्रालयों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक नीति वरिष्ठ नागरिकों, विशेषत: बुजुर्ग महिलाओं, को मुख्यधारा में शामिल करने, वृद्धावस्था में सम्मान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए 'एजिंग इन प्लेस' अथवा स्वयं के घर, मकान, आय सुरक्षा अथवा गृह-आधारित देखभाल सेवाओं, वृद्धावस्था पेंशन के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त करने की संकल्पना को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों तथा सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम जिसके तहत वृद्धाश्रम, दिवस देखभाल केंद्र, सचल चिकित्सा देखभाल इकाइयों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने तथा वृद्ध व्यक्तियों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ii) आयकर में छूट, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80डी के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में 30,000 रु. तक की रियायत है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशिष्ट बीमारी के उपचार हेतु धारा 80डी के तहत 60,000 रु. की रियायत दी जाती है, आयकर रिटर्न भरते समय वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर और तत्स्थान कर-निर्धारण सुविधा प्रदान की जाती है।

iii) 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' जिसके तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक बचत बैंक खाता संबंधी कार्य करने वाले डाक घरों में 1000/-रु. अथवा उसके गुणकों में पैसे जमा करा सकते हैं जिस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है और जमा की परिपक्वता अवधि पांच वर्ष है जो तीन साल तक और बढ़ाई जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों, अर्थात् 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बचत योजनाओं में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरें उपलब्ध हैं।

iv) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 200/-रु. प्रति माह की दर से और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/-रु. प्रति माह की दर से पेंशन के रूप में केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है और इतनी ही राशि का अंशदान राज्यों द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

v) घरेलू उड़ानों में इकोनॉमी क्लास में मूल किराये में छूट और उड़ानों में सवार होने में प्राथमिकता दी जाती है ।

vi) वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी श्रेणियों और रेल गाड़ियों में रियायत, निचली बर्थ के लिए प्राथमिकता, टिकट खरीदने/बुक करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर, सभी जंक्शनों, जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर वरिष्ठ नागरिकों के उपयोग हेतु व्हील चेयर उपलब्ध हैं।

vii) राज्य पथ परिवहन उपक्रमों की बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगली पंक्ति की दो सीटों का आरक्षण और किराये में भी रियायत दी जाती है ।

viii) वृद्ध व्यक्तियों के लिए अस्पतालों में पंजीकरण एवं नैदानिक परीक्षण हेतु अलग पंक्तियां और किडनी की समस्या, हृदय की समस्या, मधुमेह एवं नेत्र संबंधी समस्या जैसे रोगों के उपचार में वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें दी जाती है ।

ix) अंत्योदय योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों, जिनमें वृद्ध व्यक्ति हैं, को प्रति परिवार प्रति माह 35 कि.ग्रा. अनाज रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे के 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों की प्राथमिकता से पहचान की गई।

x) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्नपूर्णा योजना के तहत, प्रति माह 10 कि.ग्रा. अनाज उन वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है जो वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

xi) 60 वर्ष से अधिक आयु के राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों में राशन जारी करने में प्राथमिकता दी जाती है।

xii) दूरसंचार मंत्रालय द्वारा टेलीफोन कनेक्शन देने में प्राथमिकता और वरिष्ठ नागरिकों के टेलीफोन फाल्टों/शिकायतों को एक वीआईपी फ्लैग के साथ वरिष्ठ नागरिक श्रेणी, जो एक प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी है, के तहत दर्ज करते हुए प्राथमिकता दी जाती है।

4.2 **न्यायालयों में भी वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को त्वरित निपटान की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के तहत वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर द्वितीय अपीलों पर उच्च प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाती है।

4.3 अनेक राज्यों ने वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ, विशेषत: वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं।

4.4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं की मौजूदगी के बावजूद, उनके लाभ बहुत कम वरिष्ठ नागरिकों तक पहुँचे हैं। प्राय: वरिष्ठ नागरिक अपनी पात्रताओं से अनभिज्ञ हैं और/अथवा उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वे उक्त लाभों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। वे न केवल अपनी संपत्तियों से वंचित रहते हैं अपितु अपने सम्मान से वंचित करने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार भी होते हैं। विधवा वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए अथवा सेवा-निवृत्त वरिष्ठ नागरिकों के लिए, प्राय: अपनी पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करना अत्यंत

कठिन कार्य बन जाता है। कानूनों एवं योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रताएं निर्धारित की गई हैं और यदि वरिष्ठ नागरिकों को कानूनों एवं योजनाओं के तहत उनकी हकदारियों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यह महसूस करता है कि विधिक सेवा संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और वे वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं एवं विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त कराने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।

4.5 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की प्रस्तावना में इस बात पर बल दिया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों से सरोकार रखते हैं और उनके लिए वे ऐसे अवसर सुनिश्चित करें कि किसी भी आर्थिक अथवा अन्य नि:शक्तता के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4(ख) के तहत, ''केंद्रीय प्राधिकरण'' अर्थात् राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अधिनियम के ''प्रावधानों के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ सर्वाधिक प्रभावशाली एवं मितव्ययितापूर्ण योजनाएं बनाने'' का कार्य सौंपा गया है। इसके अलावा, धारा 4(1) के तहत ''केंद्रीय प्राधिकरण'' को जनता के बीच विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता फैलाने हेतु उपयुक्त उपाय करने, और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को समाज कल्याण कानूनों एवं अन्य अधिनियमनों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और उपायों द्वारा प्रतिभूत अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों के बारे में शिक्षित करने, के कार्य से भी जोड़ा गया है। इसी प्रकार, धारा 7(ग) के अंतर्गत, राज्य प्राधिकरण अर्थात् राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य है रोकथाम तथा कार्यनीतिगत विधिक सहायता कार्यक्रम संचालित करना। इस प्रकार यह अधिनियम स्वत: विधिक सेवा प्राधिकरणों को कानूनों एवं विभिन्न प्रशासनिक उपायों एवं कार्यक्रमों के बारे में विधिक जागरूकता फैलाने और रोकथाम एवं कार्यनीतिगत कार्यक्रम संचालित करने का कर्तव्य सौंपता है।

5. योजना का नाम

5.1 यह योजना **''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016''** नाम से अभिहित होगी। इस योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक माना जाएगा।

5.2 पैरा लीगल वोलंटियर्स, विधिक सेवा क्लिनिक, फ्रंट ऑफिस, पैनल वकील और रिटेनर वकील शब्दों का आशय वही होगा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क एवं सक्षम विधिक

सेवा) विनियम, 2010 तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 और पैरा लीगल वॉलंटियर्स हेतु नालसा योजना (संशोधित) के तहत यथापरिभाषित है।

6. योजना के उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1) उन मूलभूत अधिकारों एवं लाभों को रेखांकित करना जो वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए जाने चाहिए;
2) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987[2] की धारा 12 के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौजूदा विभिन्न विधिक प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका स्तरों पर कानूनी सहायता एवं प्रतिनिधित्व प्रदान करना;
3) वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करना;
4) यह सुनिश्चित करना कि **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** के तहत न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण एवं संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम स्थापित किये गए हैं;
5) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों, पैनल वकीलों, पैरा लीगल वोलंटियरों, छात्रों और विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से विभिन्न कानूनों एवं सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और पात्रताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और फैलाना;

---

[2]टिप्पणी: विधिक सहायता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ, पात्रता मानदंड विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में निर्धारित किए गए हैं। सभी महिलाएं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत विधिक सहायता प्राप्त करने की हकदार होंगी और वरिष्ठ नागरिकों सहित वे सभी जो धारा 12 में प्रगणित श्रेणियों में से किसी एक में शामिल हैं, विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे। तथापि, सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सहायता, विधिक सेवाएं और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी सभी के वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जा सकती हैं।

6) प्रशिक्षण, प्रबोधन और संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करके सभी स्तरों के पैनल वकीलों, पैरा लीगल वॉलंटियरों, विधिक सेवा क्लिनिकों के स्वयंसेवकों, सरकारी अधिकारियों, जिन्हें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, सेवा प्रदाताओं, पुलिस कार्मिकों, गैर-सरकारी संगठनों की क्षमताओं में वृद्धि करना; और

7) अंतरालों, आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए और उपयुक्त प्राधिकारियों को सुझाव देने हेतु विभिन्न योजनाओं, कानूनों आदि का अध्ययन करने के लिए शोध एवं प्रलेखन संचालित करना।

इस योजना का चरम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक समाज में सम्मान के साथ जीवन जिएं और उनके लिए देय लाभ और सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों।

7. कार्य योजना

7.1 न्यायाधिकरणों, अपीलीय न्यायाधिकरणों आदि की स्थापना

वरिष्ठ नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू करने के लिए अग्रगामी के रूप में, यह आवश्यक है कि उनके लिए राहत प्रदान करने हेतु कानून के तहत अवेक्षित संस्थाएं स्थापित की जाएं।

क) **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** की धारा 7 भरण-पोषण के आदेश पर न्याय-निर्णय करने और निर्णय करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक उप-खंड के लिए एक अथवा अधिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करती है। इस अधिनियम की धारा 15 में न्यायाधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने हेतु प्रत्येक जिले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत अधिदेश के अनुसार न्यायाधिकरणों एवं अपीलीय न्यायाधिकरणों के गठन के मामले को राज्य सरकार के साथ तत्काल आधार पर उठाएंगे।

ख) **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** की धारा 19 असहाय वरिष्ठ नागरिकों, अर्थात् ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित मापदंडो के अनुसार स्वयं के भरण-पोषण के पर्याप्त साधन

नहीं हैं, के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना के लिए प्रावधान करती है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त संख्या में वृद्धाश्रमों की स्थापना के मामले को राज्य सरकार के साथ उठाएंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रमों की स्थापना की संभावना भी तलाश कर सकते हैं।

ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वरिष्ठ नागरिकों के पास पर्याप्त सुविधाएं हैं और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है। वृद्धाश्रमों के नियमित आधार पर दौरे करेंगे ।

7.2 विधिक सेवा क्लिनिक

क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007** के तहत स्थापित प्रत्येक न्यायाधिकरण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण में और वृद्धाश्रमों में विधिक सेवा क्लिनिक स्थापित करेंगे।

ख) जबकि वर्तमान में उक्त न्यायाधिकरणों के समक्ष वकीलों के पेश होने पर रोक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विधिक सेवा क्लिनिकों में वरिष्ठ नागरिकों को आवेदन करने एवं अन्य प्रक्रियागत अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित पैरा-लीगल वॉलंटियर उपलब्ध हों।

ग) विधिक सेवा क्लिनिक खोले जाने की सूचना सभी सरकारी निकायों और विभागों सहित पुलिस, गैर-सरकारी संगठनों को दी जाएगी।

घ) इस प्रकार स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक अपने कार्यकरण, अवसंरचनात्मक सुविधाओं, रिकॉर्डों और रजिस्टरों के रखरखाव, पैरा लीगल वॉलंटियरों की प्रतिनियुक्ति करने और ऐसे क्लिनिकों पर नियंत्रण के मामले में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सेवा क्लिनिक) विनियम, 2011 के द्वारा अभिशासित होंगे।

ङ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों के छात्रों को वृद्धाश्रमों का दौरा करने और समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

च) विधिक सेवा क्लिनिक विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन लाभ एवं अन्य हकदारियों को प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे।

7.3 विधिक प्रतिनिधित्व

क) उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता आधार पर कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं।

ख) यह आवश्यक है कि विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक अवसंरचना के मामले में सुगम हों, अन्यथा न्याय की प्राप्ति उनके लिए निरर्थक हो जाएगी। तदनुसार, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जैसे कि स्वागत कार्यालय भूतल पर हो।

ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रक्रियागत मामलों में किसी प्रकार की तकलीफ न हो।

घ) प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति इस योजना के प्रयोजनार्थ कम-से-कम तीन वकीलों को विधिक सेवा अधिकारियों के रूप में पदनामित करेंगे।

ङ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त संख्या में पैरा लीगल वॉलंटियर भी प्रतिनियुक्त करेंगे और इस प्रयोजनार्थ वे ऐसे पैरा लीगल वॉलंटियर लेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने में प्रशिक्षित हों। वरिष्ठ नागरिकों, पुरुष और महिला दोनों, में से प्रशिक्षित पैरा लीगल वॉलंटियरों की पहचान करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

च) पैरा लीगल वॉलंटियर विधिक सेवा संस्थाओं तक पहुँचने में असमर्थ समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों एवं विधिक सेवा संस्थाओं के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करेंगे। जहां वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी दशाओं के कारण विधिक सेवा संस्थाओं तक पहुँचना संभव न हो, वहां विधिक सेवा संस्थाएं पैनल वकीलों एवं पैरा लीगल वॉलंटियरों के माध्यम से उन तक पहुँचेंगी।

छ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल वकीलों को वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को संवेदनशील तरीके से संभालने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

यह सुनिश्चित करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को प्रदत्त विधिक सेवाएं उच्चतम कोटि की हैं ताकि उन्हें सार्थक एवं प्रभावी विधिक सेवाएं प्रदान की जा सकें।

7.4 वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित कर रहे मुद्दों की पहचान

क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्र विशेष में वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की पहचान करने और उन पर तदनुसार कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जबकि कुछ मुद्दे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में एक जैसे हो सकते हैं, वहीं कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ क्षेत्रों में ही विशिष्ट होते हैं, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिक अपने स्वयं के हाल पर होते हैं क्योंकि उनके परिवार शहरों या अन्य देशों में प्रवास कर गए होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में कतिपय स्वास्थ्य समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होती हैं।

ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्रीय आधार पर उठने वाले मुद्दों का समाधान ढूँढेंगे और समाधानों को कार्यान्वित करने हेतु अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे, जिनमें संबद्ध सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से समाधान करना शामिल है।

ग) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सामुदायिक सहायता को प्रोत्साहित करने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों की ओर से निर्भरता के भाव को कम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के स्वयं सहायता समूहों के गठन में भी सहायता करेंगे।

7.5 डाटाबेस

क) सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी मौजूदा सभी केंद्रीय अथवा राज्य योजनाओं, नीतियों, विनियमों, नीति-निर्देशों का एक डाटाबेस बनाएंगे और उसे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी का प्रसार करने तथा जागरूकता पैदा करने में प्रयोग में लाए जाने के लिए पैम्फलेटों अथवा बुकलेटों के रूप में भी प्रकाशित किया जा सकता है।

ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना पुस्तिकाएं प्रकाशित करेंगे:

1) कानूनी प्रावधान, जैसे भरण-पोषण, वसीयत, सामाजिक कल्याण योजनाओं से संबंधित;

2) उपायों तक पहुँचने के बारे में ब्यौरा; और

3) राज्य भर में उपलब्ध हैल्पलाइन नम्बरों का संपर्क ब्यौरा।

ऐसी सूचना पुस्तिकाओं को वरिष्ठ नागरिकों को वितरित किया जा सकता है और जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान प्रयोग किया जा सकता है।

ग) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अस्पतालों, चिकित्सा केंद्रों और अन्य सुविधाओं का डाटाबेस बनाएंगे जो वरिष्ठ नागरिकों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध हों।

घ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा अनुरक्षित जानकारी को तालुका विधिक सेवा समितियों, ग्राम पंचायतों, विधिक सेवा क्लिनिकों और पैरा लीगल वॉलंटियरों को परिचालित किया जाएगा।

ङ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एकत्र आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे।

च) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का एक डाटाबेस तैयार करेंगे ताकि जब भी उन्हें सहायता की जरूरत हो, पैरा लीगल वॉलंटियरों की प्रतिनियुक्ति की जा सके। ऐसे डाटाबेस को कानून को लागू करने वाली एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जा सके। इससे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग जैसे संबद्ध विभागों के साथ समन्वय करके संकटग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल सहायता प्रदान करने में भी सक्षम होंगे।

7.6 विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन

क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी को वरिष्ठ नागरिकों एवं सरकार के कार्यकर्ताओं के बीच प्रसारित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।

ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी जानकारी को मुख्यतः वृद्धाश्रमों, अस्पतालों एवं अन्य स्थानों में प्रदर्शित किया जाए जहां वरिष्ठ नागरिक बार-बार आते-जाते हैं।

ग) अनेक राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाएं मौजूद हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों का संबंधित पुलिस थानों में पंजीकरण। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने और गश्त में वृद्धि करके, प्रत्येक सप्ताह अथवा प्रत्येक पखवाड़ा वरिष्ठ नागरिकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रख कर पुलिस एवं वरिष्ठ नागरिकों के बीच इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कानून को लागू करने वाले प्राधिकरणों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों का पुलिस थानों में पंजीकरण करवाने में, नौकर एवं किरायेदार का सत्यापन करवाने में और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे अन्य मामलों में सहायता करने हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

घ) प्रदान की जाने वाली विधिक सेवाओं में लाभार्थियों को उन अलग-अलग सरकारी योजनाओं और उनके तहत लाभों के बारे में जानकारी देना जिनके तहत वे पात्र हैं; लाभार्थियों को योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करना; लाभार्थियों को उस पदनामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी का नाम और पता बताना जिनसे उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जा सके; लाभार्थियों को किन्हीं योजनाओं के तहत संबंधित पदनामित प्राधिकारी अथवा अधिकारी के कार्यालय में पैरा लीगल वॉलंटियर को भेजना शामिल है ।

ङ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी सरकारी निकायों अथवा कार्यकर्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सरोकार रखने वाले अन्य संबंधित संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय एवं इंटरफेस विकसित करेंगे ताकि उनके लिए विभिन्न योजनाओं, विशेष रूप से उनके पुनर्वास संबंधी योजनाओं, के लाभ सुनिश्चित हो सकें।

7.7 जागरूकता

क) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेगा और ऐसे संस्कार पैदा करने का प्रयास करेगा जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं जरूरतों के प्रति संवेदनशील हों।

ख) विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी और यह भी बताएंगी कि वरिष्ठ नागरिकों की

देखभाल करना तथा उन्हें उनकी वृद्धावस्था में परित्यक्त अवस्था में नहीं छोड़ना बच्चों का नैतिक कर्तव्य है।

ग) विधिक सेवा संस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की जरूरत पर जागरूकता पैदा करेगी ।

घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न कानूनों एवं सरकारी योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों की हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करेंगे।

ङ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियां वरिष्ठ नागरिकों को उनकी हकदारियों को प्राप्त करना सुसाध्य बनाने हेतु उपलब्ध विधिक सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में जागरूकता भी पैदा करेंगे।

च) वृद्धाश्रमों में तथा वरिष्ठ नागरिक जहां बार-बार आते-जाते हैं, उन स्थानों पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं और पैरा लीगल वॉलंटियरों एवं छात्रों को ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

छ) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ-साथ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियां वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामान्य स्वास्थ्य शिविरों, नेत्र जांच शिविरों आदि जैसे विशेष स्वास्थ्य अथवा जांच शिविरों के आयोजन हेतु संबद्ध स्वास्थ्य विभाग के साथ, अथवा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने के लिए पुलिस के साथ समन्वय भी कर सकता है।

ज) जागरूकता फैलाने के सभी संभव तरीके अपनाए जाने चाहिए, जैसे दूरदर्शन, आकाशवाणी, निजी टीवी चैनल, होर्डिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा धार्मिक मेलों, त्यौहारों पर स्टाल लगाना।

झ) चूँकि वरिष्ठ नागरिकों की अपने क्षेत्र में बेहतर साख और मान्यता हो सकती है, अतः राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से उनकी सेवाएं प्राप्त करेंगे।

7.8 प्रशिक्षण एवं प्रबोधन कार्यक्रम

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल वकीलों और पैरा लीगल वॉलंटियरों के लिए प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम संचालित करेंगे ताकि उन्हें वरिष्ठ नागरिकों के मामलों पर कार्रवाई करने के तरीकों की जानकारी दी जा सके और उनकी क्षमता, ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि की जा सके। सरकारी कार्यकर्ताओं, पुलिस कार्मिकों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे अन्य पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए।

7.9 अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाना

सभी विधिक सेवा संस्थाएं प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाएंगी और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों एवं हकदारियों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु इस दिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी।

*****